

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग-प्रथम, मुरादाबाद से संबद्ध मध्यस्थता प्रकोष्ठ  
के लिए मध्यस्थ के रूप में शामिल होने के लिए आवेदन

1	नाम		एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधित सत्यापित हो
2	(ए) पिता का नाम (बी) माता का नाम		
3	वैवाहिक स्थिति: विवाहित या अविवाहित, विवाहित हैं तो जीवनसाथी का नाम व व्यवसाय		
4	जन्म तिथि		
5	स्थायी पता		
6	मोबाइल नम्बर और ईमेल आईडी के साथ पत्राचार का पता		
7	वर्तमान व्यवसाय और वार्षिक आय		
8	शैक्षिक योग्यता		
9	मध्यस्थता और शैक्षणिक क्षेत्र/सेवा में अनुभव		
10	क्या आपने कभी राज्य/केन्द्र सरकार के अधीन सिविल पोस्ट पर कार्य किया है? यदि हाँ तो विवरण दें,		
11	क्या आपने कभी मध्यस्थता का कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है? यदि हाँ, तो विवरण दें और अपेक्षित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न करें		
12	(ए) स्थायी खाता संख्या (पैन) (बी) आधार संख्या		
13	क्या आवेदक के विरुद्ध कोई अपराधिक मामला दर्ज किया गया है,		
14	क्या आवेदक पर किसी अपराधिक मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है? यदि हाँ, तो उसका ब्योरा		
15	क्या आवेदक को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराधिक मामले में दोषसिद्ध किया गया है? हाँ तो तर्तबन्धी ब्योरा		
16	कोई अन्य जानकारी जो कॉलम नंबर 1 से 15 के अंतर्गत नहीं आती है		

संलग्नक-

आवेदक के हस्ताक्षर और नाम

दिनांक.....

स्थान.....

टिप्पणियाँ-

- 1- आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि के समर्थन में संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।
- 2- सभी प्रकार के पूर्ण आवेदन की हार्ड कॉपी इस कार्यालय में दिनांक 11.04.2022 को सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले पहुंच जानी चाहिए।
- 3- उम्मीदवार को ऊपर दिये गये निर्देशों और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

**कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम, मुरादाबाद,  
(कचहरी परिसर, सिविल कोर्ट ब्लॉक बिल्डिंग, मुरादाबाद)**

**सूचना**

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम मुरादाबाद से संबद्ध मध्यस्थता प्रकोष्ठ उपभोक्ता मामलों में मध्यस्थता के लिए मध्यस्थों का एक पैनल तैयार करने का प्रस्ताव करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा-75 उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम, 2020 और उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम, 2020 एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-480/2021/ 84-2-2021-CN/1369528 दिनांक 15.11.2021 के संदर्भ में पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं:-

1. माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं।
2. उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य हैं।
3. सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश या किसी राज्य की उच्च न्यायिक सेवाओं के अन्य सेवानिवृत्त सदस्य हैं।
4. सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी हैं, जिनके पास कम से कम दस वर्ष का अनुभव है।
5. बार में कम से कम दस साल के अनुभव के साथ वकील हैं।
6. भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के मध्यस्थता प्रकोष्ठ के साथ पैनलबद्ध मध्यस्थ हैं।
7. मध्यस्थता या सुलह में कम से कम पाँच साल का अनुभव रखने वाला व्यक्ति हैं।
8. कम से कम पंद्रह वर्ष के अनुभव के साथ विशेषज्ञ या अन्य पेशेवर या सेवानिवृत्त वरिष्ठ नौकरशाह या सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।

2- मध्यस्थों के नियम और शर्तें, मध्यस्थों को देय शुल्क सहित, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम, 2020 और उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम, 2020 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार होंगी।

3- पात्र व्यक्ति अपने आवेदन पत्र इस तरह भेजेंगे कि उनके सभी तरह से पूर्ण आवेदन, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम, कचहरी परिसर, मुरादाबाद तक अधिकतम दिनांक 30.04.2022 अपराह्न 5.00 बजे तक पहुँचें। इसके बाद किसी भी कारण से प्राप्त आवेदन को अस्वीकार कर दिया जायेगा। पूर्ण जानकारी एवं आवेदित प्रारूप पत्र को विभाग की वेबसाइट <http://scdrc.up.nic.in/> से डाउनलोड किया जा सकता है।

4- चयन समिति उम्मीदवारों की उपयुक्तता, सत्यनिष्ठा के साथ-साथ प्रासंगिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए, आवेदनों की जांच और शार्टलिस्टिंग और अपनी सिफारिशें करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए किसी भी मानदंड को अपना सकती है।

5- इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन अनुलग्नक-1 में दिये प्रारूप में जमा कर सकते हैं।

आदेश द्वारा प्रकाशित

(अलका श्रीवास्तव)  
अध्यक्ष,

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष-प्रथम,  
मुरादाबाद